Activities under taken by MDA Fund

41. SHRI RAM RATAN RAM: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what activities have been undertaken by the Market Development Assistance Fund to develop export trade and markets for Indian products abroad;

(b) what is the actual amount in concrete terms of market development utilised by this fund;

(c) whether any evaluation of the activities of this fund have been done; and

(d) if so, what are the results thereof and if not, when will the evaluation be done?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The main activities to develop export trade and to develop marketing of Indian products abroad are as under:-

(i) Participation in trade fairs and exhibitions

(ii) Sales-cum-study teams and trade delegations.

(iii) Advertisement in foreign media and bringing out publication abroad.

(iv) Opening of Foreign offices/warehouses abroad.

(v) Buyer Seller meets.

(vi) Grant-in-aid to Export Promotion Councils and other approved organisations.

(b) The amount released from this fund during the last 3 years is as under:-

Year	Amount (Rs. in crores)
1992-93	818.50
1993-94	612.70
1994-95	657.66
1995-96	315.40

(Budget Estimates)

(c) and (d) No evaluation of the activities of the fund has been done as such because the fund is utilised for well defined stipulated activities, which are all export promotion measures being undertaken to stimulate and diversify the country's export trade.

Pilferage of Edible Oils in Ports

42. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that imported edible oil are being pilfered in ports; and

(b) if so, the reasons as to why they are not being weighed within the port?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise. 43. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की टिप्पणियां**

43. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के अधीन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अपने विचार सरकार को दिए है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन-किन कमियों की ओर संकेत किया है;

(ग) या सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता)

मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (**श्री विनोद शर्मा**) **:** (क) से (घ) जी हां । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा संतुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दी गई मुल्यांकन रिपोर्ट की टिप्पणियां आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिचालित कर दी गई है । इन मुद्दों की राज्य सरकारों के साथ की जाने वाली बैठकों में भी समीक्षा की जा रही है क्योंकि इन टिप्पणियों पर कार्यवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी है । कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव निम्नवत है:-

(i) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विकास खण्डों और समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं (आई0टी0डी0पी0) के भूभागी क्षेत्र एक जैसे नहीं है । मध्य प्रदेश में कुछ अभिज्ञात खण्डों के सभी गांवों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नहीं लाया गया है ।

(ii) बिहार, केरल, उडीसा और पश्चिमी बंगाल के चुने हुए खण्डों में किसी भी उचित दर दुकान के दरवाजे तक सुपुर्दगी की स्कीम नहीं चलाई जा रही है । इसे आंशिक रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शुरु किया गया है ।

(iii) 64 चुने हुए गांवों में से 25 गांवों में उचित दर दुकान न होने और 30 गांवों के चुने हुए परिवारों के पास राशन कार्ड न होने की सूचना दी गई है । कुछ चुने हुए गांवों में राशन कार्ड या तो खो गए हैं, नष्ट हो गए है, फट गए हैं, या उपयोग के लायक नहीं रहे हैं, पर परिवारों द्वारा राशन लिया जा रहा है ।

(iv) खण्ड स्तर पर भण्डारण सुविधाएं अपर्याप्त पायी गई है । राजसहायता के घटक को 25% से बढ़ाकर 50% करके वित्तीय सहायता को उदार बनाए जाने के बावजूद सरकारी क्षेत्र में अपने गोदान बनाने/निर्माण करने के बजाए भाड़े के गोदामों पर निर्भरता बढ़ रही है ।

(v) दरवाजे तक सुपुर्दगी और चलती-फिरती उचित दर दुकानों के लिए प्रयुक्त वैनों की संख्या अपर्याप्त पाई गई है । लगभग 20% वैनें कार्य करने की अवस्था में नहीं है और उनमें काफी मरम्मत की आवश्यकता है ।

(vi) अधिकांश सतर्कता समितियां अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही हैं ।

(vii) आवंटित सभी वस्तुओं की 60% से अधिक मात्रा उठा ली जाती है, हालांकि वस्तुओं का आवंटन एकसमान या राज्यों की वास्तविक आवश्यकता के अनुपात में या लोगों को आहार संबंधी आदतों के अनुसार नहीं किया जाता है । स्कीम के तहत शामिल वस्तुओं का वितरण आमतौर पर संतोषजनक है ।

(viii) वस्तुओं के वितरण के लिए निर्धारित मानकों का उचित दर दुकानों द्वारा आमतौर पर अनुपालन किया जा रहा है ।

(ix) उचित दर दुकानधारियों की समस्याएं, सपुर्दगी केंद्रों की स्थिति, वस्तुओं की दुलाई, मार्जिन मनी या कमीशन के निर्धारण, वस्तुओं के मूल्य के अग्रिम भुगातान और आवधिक सुपुर्दगी से संबंधित हैं ।

(x) चुने हुए राज्यों में, बिहार और मध्य प्रदेश को छोड़कर जवाहर रोजगार योजना/रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत काम करने वाले परिवारों को मजदूरी का भुगतान उचित दर दुकानों के जरिए वस्तु के रूप में नहीं किया जा रहा है । किसी भी राज्य में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पोषहार कार्यक्रम के साथ कोई भी संबंध नहीं पाया गया है ।

(xi) उचित दर दुकानों कार्यकरण के बारे में चुने हुए परिवारों की एक मिश्रित प्रतिक्रिया थी । 61%से अधिक प्रत्यार्थियों ने उचित दर दुकानों को नियमित रूप से खोले जाने के बारे में सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि 30.28% का उत्तर नकारात्मक था । उचित दर दुकानों की खोले जाने और निर्धारित काम के घंटों के बारे में निम्नलिखित राज्यों के अनेक प्रत्यार्थियों ने नकरात्मक रूप से सूचित किया: बिहार (75.29%), कर्नाटक (43.66%), महाराष्ट्र (57.14%), राजस्थान (43.48%) और तमिलनाडु

(100%) तथापि, खोलने के समय, काम के घंटों, वितरण में नियमितता और उपभोक्ताओं को सूचित करने के बारे में मौजूदा कमियों का दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक है । उचित दर दुकानों में वस्तुओं की घटिया किस्म, परिमाण और साथ ही ऊंचे मूल्यों के बारे में कुछ संकेत मिले है । इस प्रयोजन के लिए सचेत पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग की आवश्यकता है ।

(xii) यह पाया गया कि आमतौर पर वस्तुएं नियमित रूप से वितरित की जाती है,पर कुछ मामलों में काफी अन्तर से अनियमित वितरण की सूचना मिली है।

(xiii) गेहूं (60%) और मिट्टी का तेल (67%) के मामले में उपभोक्ताओं ने वितरित की गई मात्रा को पर्याप्त माना है, जबकि चीनी (62%) और चावल (55%) के मामले में अनेक स्थानों पर वितरित की गई मात्रा अपर्याप्त बताई गई है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली वस्तुओं के मामले में गेहूं (69.08%), चावल (57%) और चीनी (57%) की किस्म आमतौर पर "औसत"सूचित की गई है।

(xiv) अधिकांश प्रत्यार्थियों ने वस्तुओं अर्थात गेहूं (80.40%), चावल (77.21%), चीनी (89%) और मिट्टी का तेल (92.13%) के लिए व्यय करने में सक्षमता प्रकट की।

(xv) कुछ राज्यों में, लाभभोगियों के उन वस्तुओं के संबंध में अपनी स्थानीय आवश्यकताएं और पसंद सूचित की जिन्हें वे संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किया जाना पसंद करेंगे। उदाहरणार्थ राजस्थान और गुजरात में मकई, ज्वार और बाजरा आदि को शामिल किए जाने की स्थानीय मांग है, केरल में गेहूं के मुकाबले चावल की मांग अधिक है। पश्चिम बंगाल में वितरण हेतु स्थानीय किस्म के चावल को पसंद किया जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि वस्तुओं की पसंद के बारे में स्थानीय स्थिति (सामाजिक और सांस्कृतिक) पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। वितरण के तहत वस्तुओं को शामिल करने और बदलने के लिए स्कीम में क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण को यथोचित महत्व देने की आवश्यकता है।

(xvi) "जानकार लोगों" के अनुसार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन निम्न कारणों से असंतोषजनक है; खादयात्रों का अनियमित वितरण किया जाना, उच्च ढुलाई लागत होना और अपर्याप्त राजसहायता, वस्तुओं को नियमित रूप से और समय से न उठाना, आपूर्ति/वितरण में कम तोलना, भंडारण केंद्रों/सुपुर्दगी केंद्रों पर अच्छे किस्म की वस्तुओं को बदल देना, वितरण में गुणवत्ता और प्रक्रिया का पालन न करना और सतर्कता समितियों का आभाव होना ।

Aims of Reforms in Trade Policy

44. DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the reforms in Trade Policy were aimed at creating a free environment for trade, removing complexities through simplification and streamlining of procedures, increasing export production, sharpening India's competitive edge and focussing on quality and technological upgrading;

(b) if so, to what extent has this aim been achieved uptill now; and

(c) which are the areas in which we are lagging behind?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes. Sir.

(b) and (c) Trade Policy reforms are a continuous process and various reform measures are taken in consultation with trade, industry and other concerned institutions. Trade has been made free, except for a negative list of imports and exports. These lists are also being continuously reviewed. Procedure have been simplified and further streamlined. Improvement in quality and technology upgradation are being given priority. Exporters are encouraged to upgrade the quality standards of their products. . Consequent upon measures of reforms, exports have registered significant growth in recent years; exports during April-Sept., 1995 the latest period for which trade data are available in the current year, have recorded 26.4% growth, in US dollar terms. Emphasis is being laid on development of insfrastructure development and active involvement of State Governments.